विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 16, सातवां सत्र, 2011/1932 (शक)]

अंक 19, शुक्रवार, 18 मार्च, 2011/27 फाल्गुन, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1–3
राष्ट्रपति का सन्देश	3
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	3–4
लोक सभा की बैठक रद्द करने के बारे में	4
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
14वें से 16वां प्रतिवेदन	4
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
32वां प्रतिवेदन	4–5
कार्य मंत्रणा समिति	
26वां प्रतिवेदन	12
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2011	5
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	5
विचार करने के लिए प्रस्ताव	5
खंड 2 से 6 और 1	13–14
पारित करने के लिए प्रस्ताव	5
सभा का कार्य	7–11
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	15–16
वोट के बदले रुपये का भुगतान संबंधी समाचार-पत्र की रिपोर्ट	15–16
डॉ. मनमोहन सिंह	15–16
बिहार राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के बारे में संकल्प	18–19
डॉ. भोला सिंह	18–19

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 18 मार्च, 2011/27 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): श्री विलासराव देशमुख की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4312/15/11]

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): मैं वर्ष 2011-12 के लिए पर्यटन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4313/15/11]

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2011-2012 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4314/15/11]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): श्री एस.एस. पलानीमनिकम की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4315/15/11]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2010-11 का संख्यांक 31)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4316/15/11]

(दो) मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2010-11 का संख्यांक 26)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4317/15/11]

(तीन) राष्ट्रीय दूरसंवेदी केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग के कार्यकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) (2010-11 का संख्यांक 21)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4318/15/11]

(चार) मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (संघ सरकार के लेखा) (2010-11 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4319/15/11]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2009-2010 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखा (रक्षा सेवाएं)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4320/15/11]

(दो) वर्ष 2009-2010 के लिए संघ सरकार वित्त लेखा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4321/15/11]

(तीन) वर्ष 2009-2010 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखा (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4322/15/11]

(चार) वर्ष 2009-2010 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखा (डाक सेवाएं)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4323/15/11]

(4) सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित मदों पर प्रतिपादन शुल्क की पहचान, निर्धारण और उद्ग्रहण तथा इंजरी का अभिनिर्धारण नियम), 1995 के नियम 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 332(अ) जो 11 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 74/2000-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4324/15/11]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

राष्ट्रपति का सन्देश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीया राष्ट्रपति का 3 मार्च, 2011 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

''मुझे 21 फरवरी, 2011 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण पर लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद के उद्गार प्राप्त हुए हैं।''

पूर्वाह्न 11.02$^{1}/_{2}$ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

लोक सभा की बैठक रद्द करने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया:

''माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि जैसा कि 17 मार्च, 2011 के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, सोमवार, 21 मार्च, 2011 के लिए नियत बैठक रद्द कर दी जाए। आशा है, सभा इससे सहमत होगी।''

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

14वें से 16वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं-

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'पारेषण और वितरण प्रणालियां तथा नेटवर्क' के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'नवीन और नवीकरणीय परियोजनाओं का वित्तपोषण' के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'लघु और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं' के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.03$^{1}/_{2}$ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

32वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): अध्यक्ष महोदया, मैं आज की कार्यसूची में यथासूचीवत वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 'बीपीएल मानदंड का मूल्यांकन' विषय के संबंध में 32वें प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री यशवंत सिन्हा द्वारा जोड़ा गया अतिरिक्त वाक्य लोप कर दिया जाए।

पूर्वाह्न 11.03$^{3}/_{4}$ बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011*–*पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कमल नाथ: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैंने श्रीलंका नेवी द्वारा भारतीय मछुआरों के मारे जाने के विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। किंतु कल हिंदू अखबार में विकीलिक्स के खुलासे के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसी सदन में मैंने कहा कि यह सरकार शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीया नेता प्रतिपक्ष, क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मुझे एक बात कहनी है। क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जा रहा है?

[हिन्दी]

मैडम, या तो ये कह दें कि कॉलिंग अटेंशन नहीं लेना चाहते, सिर्फ इतना कह दें। *...(व्यवधान)* मैडम, इनका अधिकार है, जो कहना चाहते हैं कहें लेकिन एक बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह केवल ध्यानाकर्षण है।

श्री पवन कुमार बंसल: स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी मुद्दा उठाना नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है; मैं यह बात स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बार जब आपने उनसे ध्यानाकर्षण के लिए पुकारा है तो उन्हें यह कहने दे कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या आप विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रही हैं?

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, कल भी विपक्ष की नेता बोलने के लिए खड़ी हुईं, तब सारा का सारा ट्रेज़री बैंच खड़ा हो गया। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कानून हैं, कुछ रूल्स हैं। विपक्ष की नेता कालिंग अटेन्शन नहीं लेना चाहती हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्य सूची में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। क्या आप भारतीय मछुआरों के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रही हैं?

...(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 18.3.2011 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः महोदया, वह भूमिका लेने के बाद सम्भव नहीं है कि मैं विदेश मंत्री का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः नहीं, इस बात को आप जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराजः प्रधानमंत्री जी मौन साधे बैठे हैं। प्रधानमंत्री सदन में आएं और सदन में इस विषय पर वक्तव्य दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप इस विषय को जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदया, कल जो कुछ घटा है, उसके छपने के बाद पूरा देश सकते में है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः मद सं. 8–श्री पवन कुमार बंसल।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः केवल बंसल जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.06 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि मंगलवार, 22 मार्च, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगाः

1. आज की कार्य सूची से आगे ले जाए गये सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार।
2. वित्त विधेयक, 2011 पर विचार और पारित करना।
3. सिक्का-निर्माण विधेयक, 2009 पर विचार और पारित करना।
4. निम्नलिखित विधेयकों को राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् विचार और पारित करनाः-
   (क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010; और
   (ख) नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
5. संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार और पारित करना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर माननीय सदस्य अपने निवेदन रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

***श्री हरीश चौधरी** (बाड़मेर): महोदया अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित एजेन्डों को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. देश के पेट्रोलियम पदार्थों के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत करने वाले राजस्थान के जिले बाड़मेर में एक सरकारी क्षेत्र में रिफाईनरी की स्थापना का कार्य जिससे पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन लागत में कमी की जा सके।
2. राजस्थान के मरूस्थल क्षेत्र में औद्योगिक विकास एवं मरूभूमि में रहने वाले गरीब लोगों के सामाजिक विकास एवं जीवन स्तर सुधारने संबंधी सुविधाओं हेतु पैकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता।

***श्री हरिभाऊ जावले** (रावेर): महोदया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाये:-

1. महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सेवारत 10000 से अधिक अध्यापकों के लिए नियुक्ति पश्चात् एनईटी/एसईटी से छूट देने का प्रावधान मंत्रालय द्वारा निरस्त करने से

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

व्यापक आक्रोश व्याप्त है! राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी गंभीर चिंता का विषय है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं!

2. सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के वर्तमान निवृत्ति वेतन में बढ़ी हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में उचित मात्रा में बढ़ोतरी होना अतिआवश्यक है।

***डॉ. भोला सिंह** (नवादा): मैं माननीया अध्यक्ष महोदया की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिये जो कार्यक्रम उपस्थापित किए हैं उसमें दो निम्नलिखित प्रस्ताव जोड़ना चाहता हूं:-

1. बिहार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुलाधिपति की अमर्यादित आचरण के कारण अराजकता फैली है उस पर केन्द्र सरकार विचार करे।

2. बिहार के नवादा जिले में केन्द्रीय विद्यालय के लिए जनता द्वारा 6 एकड़ जमीन दी गयी है, सरकार केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कदम उठाये।

[अनुवाद]

***शेख सैदुल हक** (बर्धमान-दुर्गापुर): महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:-

1. हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के मूल्य में वृद्धि की है और इससे लोगों को कठिनाई हो रही है। इससे बिजली और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी। सरकार को कोयले का बढ़ा हुआ मूल्य तुरंत वापस लेना चाहिए।

2. 10 से अधिक गांवों के लोगों, जिन्हें अब निकटतम रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिये लगभग 6 किमी. पैदल चलना पड़ता है, को सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में बर्धमान जिले में एक ठहराव स्टेशन कोंडाईपुर को बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री रामकिशुन** (चन्दौली): महोदया कृपया दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ लिया जाए:

1. देश में लगातार बढ़ रही गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के चलते इलाज कराने में असमर्थ किसानों, मजदूरों, बुनकरों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु अविलंब आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष कोष की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

2. देश की विभिन्न राज्यों सहित पिछड़े क्षेत्रों में लगातार गिर रहे भू-जल स्तर के चलते उत्पन्न हो रहे पेय जल संकट की समस्या को तत्काल हल किये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाये:

1. अतिवृष्टी/ओलावृष्टी के कारण कच्ची बस्तियों में पानी भर जाने एवं कच्चे मकान टूट जाने के कारण सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता हूं, क्योंकि नियमों में बाढ़ शब्द का उल्लेख किया गया है, उसकी व्याख्या करते समय अधिकारी अतिवृष्टी/ओलावृष्टी को बाढ़ में सम्मिलित नहीं करते हैं और सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में सहायता नहीं उपलब्ध कराते हैं। अत: इस विषय को लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये।

2. कृषि बीमा योजना में वर्तमान में तहसील को इकाई माना गया है। अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि तहसील की जगह ग्राम को इकाई मानकर कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अत: इस विषय को लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये।

***श्री सुरेश काशीनाथ तवारे** (भिवन्डी): महोदया, निम्नलिखित विषय की महत्वपूर्ण समस्याओं को कार्यसूची में जोड़ने का कष्ट करें:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र भिवण्डी में एवं देश में बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गई है, भिवंडी में लगभग 5 लाख इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। बुनकरों, उद्यमियों के हित में आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

2. महाराष्ट्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 35(3) के तहत किसानों की खेती की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। किसानों के हित में धारा 35(3) में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अधिग्रहण को रोके जाने की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री दिनेश चन्द्र यादव** (खगड़िया): महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. बिहार राज्य के एन.एच.-107 के 16वें कि.मी. में डूमरी घाट एवं एन.एच.-31 के खगड़िया में गंडक नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण कराया जाये।

2. बिहार राज्य अंतर्गत गंगा नदी पर अगवानी घाट पर पुल निर्माण कराया जाये।

***श्री ए.टी. नाना पाटील** (जलगांव): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाये:

1. देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की 37 करोड़ संख्या को देखते हुए इनके खाद्य सुरक्षा और ओशन हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम तत्काल पारित करने की आवश्यकता है।

2. देश में भू-माफिया, तेल माफिया और रेत माफियाओं के बढ़ते गोरखधंधों को रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है, जिससे इन माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकें, ऐसा कानून तत्काल संसद में लाकर पारित करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल—उपस्थित नहीं।

श्री नवजोत सिंह सिद्धू—उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

इस समय श्री अनुराग सिंह ठाकुर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, आपने इन्हें कालिंग अटेन्शन के लिए बुलाया था और इन्होंने दूसरी बात करनी शुरू कर दी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 12.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 12 बजकर 15 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति

26वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन, श्री पवन कुमार बंसल।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2011–*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, श्री कमल नाथ, मद संख्या 9क।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, श्री पवन कुमार बंसल अपनी बात रखें।

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, *...(व्यवधान)* मैं यह बताना चाहता हूं तथा कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री सभा में अपराह्न 2 बजे एक वक्तव्य देंगे। *...(व्यवधान)* अब यह क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)* सभा को चलने दीजिए। *...(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं *...(व्यवधान)*

मैं सभा को पुन: यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपराह्न 2 बजे एक वक्तव्य देंगे और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग करें और सभा को चलने दें। *...(व्यवधान)* हम सभा की कार्यवाही को समेटना चाहते हैं और हमारे पास बहुत कम समय है। *...(व्यवधान)* चर्चा के लिए बहुत से विषय हैं और कई कानूनों पर भी विचार किया जाना है। *...(व्यवधान)* महोदय, हमें इन दो घंटों का उपयोग कुछ कार्यवाही पूरा करने में करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

प्रधानमंत्री अपराह्न 2 बजे वक्तव्य देने के लिए सभा में आएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे अन्य कार्यवाही शुरू करें। *...(व्यवधान)* मैं उनसे अन्य कार्यवाहियों के निष्पादन में सहयोग करने के लिए अनुरोध करता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अगर आप इस बात पर शोर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें तो मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री दो बजे अपनी स्टेटमेंट देंगे। अगर फिर भी आप हाउस नहीं चलने दे रहे हैं तो हम डेमोक्रेसी को क्या बनाने लगे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

वोट के बदले रुपये का भुगतान संबंधी समाचार-पत्र की रिपोर्ट

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, कल अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा एक समाचार पत्र में प्रकाशित उन रिपोर्टों, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वे नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा वाशिंगटन में अपने प्राधिकारियों को प्रेषित 'केबल' पर आधारित हैं, को आधार बनाकर आरोप लगाए गए थे। भारत सरकार इस प्रकार की सूचना की प्रमाणिकता, विषय-वस्तु और अस्तित्व की भी पुष्टि नहीं कर सकती। मैं यह बताना चाहूंगा कि उक्त रिपोर्टों में संदर्भित कई व्यक्तियों के द्वारा उक्त विषय-वस्तु का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है।

यह मुद्दा उठाया गया कि भारत में घूसखोरी के अपराध को अंजाम दिया गया। भारत सरकार इस आरोप का पूर्ण और सख्ती से खंडन करती है। तथापि, यदि आपको स्मरण हो, तो जुलाई 2008 में 14वीं लोक सभा में सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। सभा में हुए खुले मतदान में सरकार ने 256 के मुकाबले 275 मतों से लोक सभा का विश्वास प्राप्त किया।

घूसखोरी के आरोप की जांच 14वीं लोक सभा द्वारा गठित एक समिति के द्वारा की गई थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि घूसखोरी के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

महोदया, मैं निराश हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य यह भूल गए हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। चौदहवीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने पर, आम चुनाव हुआ था। विपक्षी दलों द्वारा विश्वासमत के दौरान लगाए गए रिश्वत के आरोपों को उस आम चुनाव में दोहराया गया था। लेकिन लोगों ने इन आरोपों का क्या उत्तर दिया था? मुख्य विपक्षी दल जिसके चौदहवीं लोक सभा में 138 सदस्य थे, पन्द्रहवीं लोक सभा में घटकर मात्र 116 सदस्य रह गए थे। यह कैसे हुआ कि वाम दलों की सदस्य संख्या भी 59 से कम होकर मात्र 24 रह गयी थी। केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई थी और यह संख्या 145 से बढ़कर 206 हो गयी थी। अत:, 61 सदस्यों की बढ़ोत्तरी हुई थी।

महोदया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष उन पुराने आरोपों को अभी भी उठा रहा है जिन पर चर्चा हो चुकी है और जिन्हें भारत की जनता नकार चुकी है। यह आश्चर्यजनक है कि विपक्षी दलों द्वारा अटकलबाजीपूर्ण, गैर-सत्यापित और सत्यापित न होने लायक सूचनाओं को पुराने आरोपों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रामाणिक माना जा रहा है, जिन्हें पूर्णत: नकारा जा चुका है।

महोदया, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जुलाई, 2008 में विश्वासमत के दौरान कांग्रेस पार्टी अथवा सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति किसी भी गैर-सरकारी कार्य में संलिप्त नहीं था। यूपीए-1 सरकार को सदैव लोगों और चौदहवीं लोक सभा का विश्वास प्राप्त था। यूपीए-2 सरकार जिसका गठन पन्द्रहवीं लोक सभा में हुआ है को इस सभा और भारत की जनता का विश्वास प्राप्त है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, नियमानुसार, किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं है और यदि आप कोई चर्चा शुरू करना चाहते हैं तो आप कृपया विधिवत सूचना दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री पवन कुमार बंसल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, अब तक ये इस बात को लेकर शोर कर रहे थे कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दें। उन्होंने डिनाइ किया है। क्या ये चाहते हैं कि हम इनकी बात मान लें। *...(व्यवधान)* क्या ये लोग यह चाहते हैं कि ये जो कह रहे हैं, उसे हम मान लें? क्या विपक्ष का यह कहना है कि जो ये कहते हैं कि रिपोर्ट में कहीं भी कुछ आ जाये, एक आदमी की बिना पर सरकार उसको मान ले? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: श्री पवन कुमार बंसल, आप अपना विधेयक रखिये।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, आपके द्वारा विनिर्णय दिए जाने के बाद *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, सदन में वक्तव्य के बाद *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम इसकी अनुमति नहीं देता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं नियमों से बंधी हूं। यदि आप चर्चा चाहते हैं तो आप एक सूचना दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.31 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.31 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री इंदर सिंह नामधारी** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह वक्तव्य इस देश की राजनीति में *...(व्यवधान)* एक नया अध्याय शुरू करता है। *...(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, उस पर व्यवस्था आ चुकी है। *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: और हर अपराधी को उन्होंने इस बात की छूट दी है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब मद संख्या 13 पर विचार करेगी, 21 अगस्त, 2010 को डॉ. भोला सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे की चर्चा शुरू करें। डॉ. भोला सिंह शुरू करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: हर अपराधी को छूट दी है कि अपराध करो, चुनाव लड़ो और अगर चुनाव जीत *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही में केवल, श्री भोला सिंह का वक्तव्य सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 3.32 बजे

बिहार राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के बारे में संकल्प–*जारी*

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, हमने पिछले दिनों इस सदन में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाये, यह प्रस्ताव

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमने उपस्थापित किया था *...(व्यवधान)* कि यह सभा इस सरकार से आग्रह करती है *...(व्यवधान)* कि वह बिहार राज्य में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए। अब गैर–सरकारी सदस्यों का समय है। गैर–सरकारी सदस्यों के महत्व को समझना चाहिए और मैं सोचता हूं कि उन्हें अपना काम करने देना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, हमें पी.एम.बी. से सहानुभूति है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदयः यहां सब पुराने, निष्णात और अनुभवी सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि परंपरा यह रही है कि जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है, उसे बाधित नहीं किया जाता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे चलने दिया जाये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः व्यवधानों को कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः सभा 22 मार्च, 2011 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.33 बजे

*तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 मार्च, 2011/1 चैत्र, 1933 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।***

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**निरन्तर व्यवधान के कारण, लोक सभा उस दिन के लिए स्थगित हो गई।